

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/सेनि. पार्ट-1/30119/2025/25

दिनांक:- 27/1/2025

—:आदेश:—

निम्नलिखित कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	राजेन्द्र सिंह राठौड	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जोधपुर	04.01.1965	31.01.2025
2.	स्वीटी जोन	नर्सिंग अधीक्षक	ब्यावर	11.01.1965	31.01.2025
3.	उगमसिंह राठौड	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जोधपुर ग्रामीण	15.01.1965	31.01.2025
4.	गोपाल लाल धाकड	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	टोंक	09.01.1965	31.01.2025
5.	दुला राम	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	चूरु	12.01.1965	31.01.2025

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:-कार्मिकों के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी यह सुनिश्चित कर लेवे कि किसी के विरुद्ध वर्तमान में विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित/विचाराधीन तो नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 27/1/2025

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/सेनि. पार्ट-1/30119/2025/25

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, (क.रा.बी. योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग (अराजपत्रित/राजपत्रित), मुख्यालय।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date : 25-01-2025 02:27:33

D:/Nurse-1 Final/RET MN1 Order